

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सुपौल....., सं0.....23....., सन्2025.....

केस का प्रकार.....विविध वाद.....(लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम राज्य एवं अन्य)

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
28.06.2025	प्रस्तुत विविध वाद न्यायालय समाहर्ता, सुपौल के जमाबंदी निर्धारण पुनरीक्षण वाद संख्या-144/2002 (लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम रामदेव पासवान एवं अन्य) में दिनांक-04.11.2024 को उक्त वाद को खारिज किये जाने के विरुद्ध इस न्यायालय में Restoration हेतु दायर किया गया है। दिनांक-28.06.2025 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। सम्यक विचारोपरांत न्यायहित में जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद को Restore करते हुए सभी संबंधितों को पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश से निस्तार करेंगे। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे। Raj K. 28/6/2025. आयुक्त	

